

FORM - I
(FOR LINEAR PROJECTS)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, BANSWARA (RAJASTHAN)

No.F-2 () 2144 / 2021 / 2275

Dated : 23/12/2021


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd. August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act. 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's latter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.99 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer PWD NH Division Banswara (Name of user agency) for Diversion of 4.99 Hect. of protected Forest Land for the project of Widening/ Strengthening/ upgradation to two lane with paved shoulder from existing chainage km 250.600 to 275.000 (Wajwana to banswara) saction 927 A Block Banswara and Garhi in Banswara District falls with in jurisdiction of Village mungthali Total Khasra No. 5 area 2.2536 and wajwana Total Khasra No. 5 area 2.7364 total area 4.99 Hectares.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **4.99** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s), and District Level Committee are enclosed as annexure A to C
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above


(Ankit Kumar Singh)
District Collector
Banswara (Rajasthan)

--: बैठक कार्यवाही विवरण :-

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, बांसवाड़ा की बैठक आज दिनांक 23-12-2021 को दोपहर 03.00 बजे जिला कलक्टर सभाकक्ष में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए :-


1. उपवन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा।


बैठक में निम्न प्रयोजनार्थ वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति बांसवाड़ा एवं गढी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा सहित निम्नानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :-

तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रयोजन
गढी	वजवाना	2796, 2844, 3001, 3247/3632, 3002,	2.7364	राष्ट्रीय राजमार्ग 927 "ए" के विस्तारीकरण, चौड़ाईकरण एवं शुद्धीकरण कार्य के अन्तर्गत जिला बांसवाड़ा के वजवाना से बांसवाड़ा के बीच प्रभावित हो रही 4.99 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।
बांसवाड़ा	मूंगथली	270/2, 350, 288, 350, 352	2.2536	
कुल योग		कुल खसरा किता -10	4.99 हैक्टेयर	

अतः उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उपखण्ड स्तरीय समिति बांसवाड़ा एवं गढी द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार रकबा 4.99 हैक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन कर प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।


उपवन संरक्षक
बांसवाड़ा


परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा


जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

कार्यालय पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा

संख्या:- एफ/पंचतल/एका/2021-22/ 1599

दिनांक :- 22/09/2021

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
उपखण्ड बांसवाडा

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 ए के विस्तारीकरण चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के अन्तर्गत जिला बांसवाडा में ग्राम वजवाना से बांसवाडा के बीच में प्रभावित हो रही 4.99 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।


प्रसंग :- आप श्रीमान् कार्यालय पत्रांक एफ()927 ए/2020/61-62 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 ए जिला बांसवाडा में ग्राम वजवाना से बांसवाडा के सेक्शन में 4.30 हे० वन भूमि भी प्रभावित हो रही है, जिसमें निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत किये जाने हैं। जिसके सम्बंध में उक्त वनभूमि प्रत्यावर्तन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में (Forest Right Settlement) की कार्यवाही पूर्ण करवाकर बैठक कार्यवाही वेबरण तथा स्पष्ट अनुशंसा के साथ आप कार्यालय को प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है।


जिस क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में तत्कालिन ग्राम पंचायत कोहाला अन्तर्गत गाँव मुंगथली द्वारा दिनांक 05.05.2018 को ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन कर प्रकरण के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है (जिसकी प्रति संलग्न है)।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।


(रमेशचन्द्र मोहन)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति तलवाडा
जिला बांसवाडा

प्रतिलिपि :-

- 01 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जिला बांसवाडा।
- 02 श्रीमान् अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि.रा.रा.मार्ग खण्ड बांसवाडा।
03. सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोहाला/सागेता।
04. कार्यालय प्रति।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति तलवाडा
जिला बांसवाडा

परियोजना का नाम:- राजस्थान राज्य के डुंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग-927ए (NH-927A) स्वरूपगंज-कौटड़ा-खैरवाड़ा-डुंगरपुर-सागवाड़ा-बांसवाड़ा खण्ड के दो लेन पेड्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य हेतु वन भूमि का सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय सभा/ग्राम पंचायत कोहाल जिला बांसवाड़ा (राज.)

ग्राम पंचायत पाक्षित दस्तावेज का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, की राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-927ए के डुंगरपुर से बांसवाड़ा (254.622 कि.मी. से 255.445 कि.मी.) तक का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम सुगाधली के आरक्षित/संरक्षित वनक्षेत्र के वन खण्ड में है, उक्त वन भूमि के व्यपर्वतन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपर्वतन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर अर्थात् पाक्षिक बैठक की दिनांक 05.05.2018 को की गई जिसमें ग्राम सभा के प्रतिनिधि के अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है। कि व्यपर्वतन के लिए आवेदित वन भूमि की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकता/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा पाक्षिक बैठक ने व्यपर्वतन के प्रस्ताव के विवरण को समक्ष लिया है।
4. वनभूमि व्यपर्वतन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अतिमत्/सहमति व्यक्त करती है।

अनिता
सरपंच

सचिव

सुगाधली
वा.प.स.स.स.

परियोजना का नाम:- राजस्थान राज्य के डुंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग-927ए (NH-927A) स्वरूपगंज-कोटड़ा-खैरवाड़ा-डुंगरपुर-सागवाड़ा-बांसवाड़ा खण्ड के दो लेन पेड्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य हेतु वन भूमि का सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, को हस्तांतरण प्रस्ताव।

कार्यालय सभा/ग्राम पंचायत जिला (राज.)

ग्राम पंचायत पाक्षित बैठक का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, की राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-927ए के डुंगरपुर से बांसवाड़ा (254.622 कि.मी. से 255.445 कि.मी.) तक का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम सागवाड़ा के आरक्षित/संरक्षित वनक्षेत्र के वन खण्ड में है, उक्त वन भूमि के व्यपर्वतन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपर्वतन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा पाक्षिक बैठक की दिनांक 1.5.18 को की गई जिसमें ग्राम सभा के 50% प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है। कि व्यपर्वतन के लिए आवेदित वन भूमि की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकता/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा पाक्षिक बैठक ने व्यपर्वतन के प्रस्ताव के विवरण को समक्ष लिया है।
4. वनभूमि व्यपर्वतन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अतिमत/सहमति व्यक्त करती है।

(हिरण्यार, परमार)
सरपंच

ग्राम पंचायत सागवाड़ा
प.सं. सागवाड़ा, बांसवाड़ा

ग्राम सचिव सचिव

ग्राम सचिव सागवाड़ा
प.सं. सागवाड़ा, बांसवाड़ा

ग्राम सचिव

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा (राज.)

क्रमांक :- राजस्व/आवंटन/2021/ 2863

दिनांक :- 18/10/2021

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
बांसवाडा

:- बैठक कार्यवाही विवरण :-

आज दिनांक 18/10/2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य वन परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बांसवाडा की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।


क्र.सं	नाम सदस्यगण	पद	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर	वि.वि.
1	श्री पर्वतसिंह चुण्डावत	उपखण्ड अधिकारी	9414660116	h	
2	श्री रमेश चन्द्र मीणा	विकास अधिकारी	9828706431	रमेश	
3	श्री कपिल चौधरी	क्षेत्रीय वन अधिकारी	9929260411	कपिल	


श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बांसवाडा का पत्र क्रमांक 454 दिनांक 13.06.2019 की पालना में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पंचायत समिति तलवाडा के मूंगथली गांव में सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927-ए में निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 4.99 हैक्टेयर भूमि में से कुछ भाग गांव मूंगथली जो कि वनभूमि के अन्तर्गत आती है।


उपरोक्त उपखण्ड के कुल क्षेत्रफल 2.2536 हैक्टेयर भूमि पर कार्य करवाया जाना है। उक्त प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927-ए में निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में रखा गया, जिसमें समिति को कोई आपत्ति नहीं है,

क्र.सं	ग्राम का नाम	रकबा
1	मूंगथली	2.2536 हैक्टेयर

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति तलवाडा के मूंगथली गांव में सडक परियोजना निर्माण की स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सहमत हैं एवं अनुशंषा करती है।


(रमेश चन्द्र मीणा)
विकास अधिकारी
तलवाडा जिला बांसवाडा


(कपिल चौधरी)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बांसवाडा (राज.)


(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज0)

क्रमांक: एफ ()स्थां./2021/982

दिनांक: 01.10.21

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय

बांसवाड़ा


विषय:-अनुसूचित जनजाति और अन्य वन परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम 2006 एवं 2008 के अनापत्ति के प्रमाण-पत्र के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य वन परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वजवाना में वनाधिकार के तहत गांव वजवाना में सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927-ए मे निर्मित कार्य में प्रभावित होने वाली 4.99 हैक्टर भूमि में से 2.7364 वनभूमि के दिये जाने के क्रम में उपखण्डस्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 0.1.10. 2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय आयोजित की गई जिसमें उपस्थित सदस्यों ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना प्रकट किया। साथ ही बैठक कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(हनुमानसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

बेहक कार्यवाही विवरण
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति-गढ़ी

भाज दिनांक 01.10.2021 को राष्ट्रीय राजमार्ग 927A (ग्राम बजवाना 2.7364 ई०) भूमि सत्रक सीमा में जाने के क्रम में ग्राम पंचायत बजवाना की वनाधिकार, ग्राम पंचायत की पारिष्क बेहक दिनांक 05.5.2018 अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बेहक भागीदारी की गई। बेहक में निम्नांकित ने भाग लिया:-

क्र.सं.	नाम	पद	सहसं. सं.
(1)	श्री हनुमान सिंह राणे	S.P.M. गढ़ी	01/12
(2)	श. विक्रम सिंह मंडा	B.P.O. गढ़ी	
(3)	श. कुलदीप सिंह	रेन्जर, गढ़ी	

बेहक में उपर्युक्त सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 927A (बजवाना) की 2.7364 ई० भूमि उत्पत्तियों की जाने के क्रम में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना उक्त किया गया।

SDO गढ़ी
01/12

1.10.21
SDO गढ़ी

01/12
R.P.O. गढ़ी